-59 / 2024

उनवान:– जरीना बनाम कविता

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

59 / 2024

दिनांक:– 07.10.2024

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

जरीना बानो पुत्री मोहम्मद मुश्ताक
नसीम बानो पुत्री मोहम्मद मुश्ताक
मुफीद अहमद पुत्र मोहम्मद मुश्ताक
मौहम्मद आरिफ खान पुत्र मोहम्मद मुश्ताक
समस्त जाति मुसलमान निवासी बालघाट तहसील बालघाट जिला करौली।

(सायलान)

बनाम

कविता मीना पत्नि हेमन्त मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
तहसीलदार टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक 15.04.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस : है कि ग्राम बालघाट की आराजी ख0न0 681 रकवा 0.38 है0 मे सायलान प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा बकिया हिस्से मे गैरसायला न0 1 ातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीया तमे मौके पर सायलान व गैरसायला न0 1 का बहामी रा हो रहा है। तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ान व गैरसायला न0 1 के मध्य विधिवत बटवारा नही हुआ है। सायलान व गैरसायला न0 1 नयुक्त खातेदारी दर्ज होने के कारण वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि मे आये दिन डौल मेड वेवाद बना रहता है। वादीगण के कब्जे की भूमि पर गैरसायला न0 1 कब्जा करना चाहती है सायलान के कब्जा काश्त मे मजाहमत मदाखलत पैदा करती रहती है। जिससे सायलान व ायला न0 1 के मध्य विवाद बना रहता है।

बाका दिनांक 30.09.2024 को सायलान ख0न0 681 मे अपने हिस्से व कब्जे की त की देखभाल कर रहे थे कि गैरसायला न0 1 अपने साथ अन्य व्यक्तियो को लेकर आई और लान से कहा कि तुम इस भूमि पर आना छोड दो हम इस भूमि पर कब्जा करेगे क्योकि तुम्हारे ो व कब्जे की भूमि मे मेरे नाम भी खातेदारी दर्ज है। सायलान ने गैरसायला न0 1 को काफी ाया तथा तहसील मे चलकर विधिवत बटवारा कराने के लिए कहा तो गैरसायला न0 1 ने ारा कराने से इन्कार कर दिया। इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं र्नीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान कोई क्षति किसी प्रकार की नही है, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को र्नीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव [illegible]

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार प[illegible]कर [illegible]यलान को ता दावा ला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बालघाट की आराजी [illegible]0 681 / 0.38 है0 मे जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही रके [illegible] को बेदखल नही करे। ी व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

—59/2024

उनवानः— जरीना बनाम कविता

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

) 59/2024

दिनांकः— 07.10.2024

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

. जरीना बानो पुत्री मोहम्मद मुश्ताक
. नसीम बानो पुत्री मोहम्मद मुश्ताक
. मुफीद अहमद पुत्र मोहम्मद मुश्ताक
. मौहम्मद आरिफ खान पुत्र मोहम्मद मुश्ताक
समस्त जाति मुसलमान निवासी बालघाट तहसील बालघाट जिला करौली।

(सायलान)

बनाम

कविता मीना पत्नि हेमन्त मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
तहसीलदार टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट सायलान

निर्णय   दिनांक 15.04.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस : है कि ग्राम बालघाट की आराजी ख0न0 681 रकवा 0.38 है0 मे सायलान प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा बकिया हिस्से मे गैरसायला न0 1 ातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीया तमे मौके पर सायलान व गैरसायला न0 1 का बहामी रा हो रहा है। तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ान व गैरसायला न0 1 के मध्य विधिवत बटवारा नही हुआ है। सायलान व गैरसायला न0 1 नयुक्त खातेदारी दर्ज होने के कारण वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि मे आये दिन डौल मेड वेवाद बना रहता है। वादीगण के कब्जे की भूमि पर गैरसायला न0 1 कब्जा करना चाहती है सायलान के कब्जा काश्त मे मजाहमत मदाखलत पैदा करती रहती है। जिससे सायलान व ायला न0 1 के मध्य विवाद बना रहता है।

बाका दिनांक 30.09.2024 को सायलान ख0न0 681 मे अपने हिस्से व कब्जे की न की देखभाल कर रहे थे कि गैरसायला न0 1 अपने साथ अन्य व्यक्तियो को लेकर आई और लान से कहा कि तुम इस भूमि पर आना छोड दो हम इस भूमि पर कब्जा करेगे क्योकि तुम्हारे ा व कब्जे की भूमि मे मेरे नाम भी खातेदारी दर्ज है। सायलान ने गैरसायला न0 1 को काफी ाया तथा तहसील मे चलकर विधिवत बटवारा कराने के लिए कहा तो गैरसायला न0 1 ने ारा कराने से इन्कार कर दिया। इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं र्नीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई [illegible] होने से गैरसायलान कोई क्षति किसी प्रकार की नही है, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] होने से सायलान को र्नीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार [illegible] गैरसायलान को ता दावा

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार [illegible] की आ[illegible] ख0न0 681/0.38 है0 मे ला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बालघाट की आ[illegible] करे वादीगण को बेदखल नही करे। ी काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही रके रहन व्यय नही करे वादीगण को बेदखल नही करे। : व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:25:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। सायल न0 2 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, गैरसायला न0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित यालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र ार्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजी ख0न0 681 रकवा 0.38 है0 सायलान कुल हिस्सा 1/2 के तथा 1/2 हिस्से मे गैरसायला न0 1 सहखातेदार काश्तकार है। त आराजीयात का मौके पर बहामी बटवारा हो रहा है। तथा बहामी बटवारे अनुसार अपने—अपने से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान व गैरसायला न0 1 के मध्य विधिवत ारा नही होने से आये दिन डौल मेड पर विवाद बना रहता है। सायलान के कब्जे की भूमि पर सायला न0 1 जबरन कब्जा करना चाहती है तथा सायलान के कब्जा काश्त मे मजाहमत खलत पैदा करती रहती है। जिससे सायलान व गैरसायला न0 1 के मध्य विवाद बना रहता है। लिये प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बालघाट की ाजी ख0न0 681/0.38 है0 मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही रके रहन व्यय नही करे ागण को बेदखल नही करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सायलान वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का लोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम बालघाट की आराजी ख0न0 681 रकवा 0.38 है0 मे ालान कुल हिस्सा 1/2 तथा गैरसायला न0 1 हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वादपत्र बाद सुनवाई प्राथमिक डिकी किया जा चुका इसलिये सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को जैरकार रखना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से रेज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया ा।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:25:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner